राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 281, 282, 283, 284, 285, 286,287 व 288/2015 जिला–उदयपुर

उनवान : मैसर्स आई.टी.सी.सेम इण्डिया(जी.वी.),कोटा बांच उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, कोटा एवं अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर,उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2015	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.जैन,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। ये आठ अपीलें मय स्थगन पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर,उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169,170, 171, 173/वैट/14–15 /उदयपुर एवं 138 /वैट/14–15/उदयपुर एवं 139 /सीएसटी/14–15/उदयपुर तथा 172 व 174/सीएसटी/14–15/उदयपुर पारित दो संयुक्त आदेश दिनांक 24.02.2015,, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अधिनियम की धारा 26 एवं 55 के अन्तर्गत वर्ष 2007–2008 से 2010–11 आदेश दिनांक 03.11.2014 एवं वर्ष 2011–12 (वैट एवं सीएसटी) के पारित आदेश दिनिांक 14.08.2014 को पारित किये गये हैं,जिनमें सृजित मांग राशियों के सम्बन्ध मे स्थगन आवेदन पत्रो को अस्वीकार किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने स्थगन आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में ठोक कारण अपीलाधीन आदेशों में अंकित नहीं हैं, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं । उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेशों में "व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत तर्को में कोई बल नही होने से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार किये जाते हैं" अंकित करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया है,जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है,जिन्हें सुपाठ्य एवं विधिक नही ठहराया जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आलोच्य वर्षो में अपीलार्थी व्यवहारी ने अपने सब कान्ट्रेक्टर्स को सप्लाई किये गये (डीजल एवं अन्य माल) मैटीरियल में से अतिरिक्त सप्लाई किये गये माल के पेटे, सब–कान्ट्रेक्टर्स को देय भुगतान में से, राशि काटकर भुगतान प्राप्त किया गया है,जो विक्रय की श्रेणी में आता है। उक्त अतिरिक्त सप्लाई किये गये मैटीरियल पर देय वैट को राजकोष में जमा नहीं करवाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को विधिक ठहराते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।	

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी व्यवहारी एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य उभर कर आता है कि आलोच्य वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि में सब कान्ट्रेक्टर्स को सप्लाई किये गये (डीजल एवं अन्य माल) मैटीरियल में से अतिरिक्त सप्लाई किये गये माल के पेटे, सब–कान्ट्रेक्टर्स को देय भुगतान में से, राशि काटकर भुगतान प्राप्त किया गया है,जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रय की श्रेणी में होना मानकर,तदनुसार मांग राशियॉ कायम की गई हैं। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सब–कान्ट्रेक्टर को सप्लाई किया गया माल विक्रय की श्रेणी में होने है अथवा नहीं, का महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अर्न्तवलित है। स्थगन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि पहले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का बैंक खाता सीज कर दिया गया था और बाद में उसे रिलीज कर दिया गया है।

स्थगन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी को निर्देशित करती है कि वह उक्त स्थगन पत्रों के सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर दिनांक 16 से 18.03.2015 तक रोज सुनवाई कर प्रकरणों की सुनवाई समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष